श्रीनगर पुजहाँ थाना काण्ड संख्या–144/2020

GR. No.-5747/2020

08.07.2021 कारাधीन अभियुक्त राजेन्द्र माझीं उम्र लगभग 55 वर्ष एवं सुनील माझीं उम्र लगभग 27 वर्ष की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 07.07.2021 Virtual Mode में सुनवाई हेतु प्रस्तुत् किया गया। विद्वान A.P.O. एवं काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता Virtual Mode में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए।

तत्पश्चात् काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 07.07.2021 को परिचालित किया गया। जिसपर उभय–पक्षों को सुना गया।

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार द्वारा कथन किया गया कि आवेदक काराधीन अभियुक्त विल्कुल निर्दोष है। उन्हें इस वाद में झूठा फॅसया गया है।

आगे आवेदक काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के आलावा किसी अन्य माननीय न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं किया गया।

आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है, कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आगे पुनः कथन किया गया कि आवेदक काराधीन अभियुक्त दिनांक 25.06.2021 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक काराधीन अभियुक्त श्रीमान् के संतुष्टि के आधार पर बंध–पत्र देने को तैयार है। प्रार्थना किया गया कि काराधीन अभियुक्तो को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान A.P.O. द्वारा जमानत का कड़ा विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय–पक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से प्रकट होता है, कि आवेदक काराधीन अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। इनके विरूद्ध भा0 द0 वि0 कि धारा–420,406,467,468,323, 504 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप है। जो अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति के आरोप है। आवेदक काराधीन अभियुक्त दिनांक **25.06.2021 से कारा अभिरक्षा में है।** वर्तमान में इस काण्ड में अनुसंधान जारी है। तदनुसार

<u>लागतार</u>

<u>08.07.2021</u> अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्तो को जमानत का लाभ देना न्यायाहित में उचित प्रतीत् नहीं लगता है।

अतः आवेदक काराधीन अभियुक्त राजेन्द्र मांझी एवं सुनील मांझी के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक **07.07.2021** को **खारिज** किया जाता है। इस तरह जमानत आवेदन निस्तारित किया गया।

लेखापित

न्या0 दण्ड़ा0